



2026:AHC: 175151-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका संख्या - 962 वर्ष 2026

अकरम

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

अधीक्षक, केंद्रीय कारागार बरेली और 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता	: चंद्रकेश मिश्रा, वसुंधरा
प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता	: ए.एस.जी.आई., शासकीय अधिवक्ता, शिव कुमार पाल

न्यायालय संख्या- 42

माननीय न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आज न्यायालय में दाखिल किए गए प्रत्युत्तर शपथपत्र को अभिलेख पर लिया जाता है। प्रत्यर्थी संख्या 4 की ओर से भारत संघ के विद्वान अधिवक्ता श्री एस.के. पाल द्वारा आज न्यायालय में दाखिल किए गए प्रति शपथ पत्र को अभिलेख पर लिया जाता है।
2. वर्तमान याचिका याचिकाकर्ता द्वारा दाखिल की गई है जो स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 (जिसे इसके पश्चात 'पीआईटी एनडीपीएस अधिनियम' कहा गया है) के प्रावधानों के अंतर्गत निवारक निरुद्धि भुगत रहा है, जो अन्य बातों के साथ-साथ, ऐसे व्यक्तियों की निवारक निरुद्धि का प्रावधान करता है जो स्वापक और मनःप्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार में लिप्त हैं।
3. इस वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं:

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



4. पीआईटी एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत याचिकाकर्ता की निवारक निरुद्धि के लिए 28.12.2025 को कार्यवाहियां शुरू की गईं। तत्पश्चात, 17.04.2026 को निवारक निरुद्धि का आदेश पारित किया गया, जिसके अनुसरण में याचिकाकर्ता को अभिरक्षा में ले लिया गया, और उक्त आदेश उसे 18.04.2026 को तामील किया गया।

5. याचिकाकर्ता की निवारक निरुद्धि के लिए भरोसा किए गए विभिन्न आधारों में से एक वर्तमान वाद था, जिसे अपराध संख्या 618 वर्ष 2025 के रूप में दर्ज किया गया था। भरोसा किए गए अन्य दो मामले अपराध संख्या 251 वर्ष 2024, दिनांक 20.07.2024 थे, जो याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, पूरी तरह से सह-अभियुक्त के ज्ञापन पर आधारित हैं, जिसमें याचिकाकर्ता को पहले ही जमानत मिल चुकी है, और अपराध संख्या 129 वर्ष 2018, जो उत्तराखंड राज्य में दर्ज किया गया था, जिसमें भी याचिकाकर्ता को पहले ही जमानत मिल चुकी है।

6. 17.04.2026 को, जैसा कि पहले ही ऊपर उल्लेख किया गया है, निरुद्धि आदेश उत्तर प्रदेश राज्य के सचिव, गृह द्वारा पारित किया गया था, और वही 18.04.2026 को बंदी (कार्पस) को तामील किया गया था। उसी तिथि को अर्थात् 17.04.2026 को याचिकाकर्ता का प्रकरण सलाहकार बोर्ड के समक्ष रखा गया था। तत्पश्चात, 12.05.2026 को, याचिकाकर्ता ने कारागार प्राधिकारियों को अपना पहला अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, जिसे अन्य बातों के साथ-साथ, 15.05.2026 को सलाहकार बोर्ड को अग्रेषित कर दिया गया।

7. राज्य की ओर से दाखिल प्रति शपथ पत्र में इस पहलू पर कोई विवाद नहीं है। प्रत्यर्थी संख्या 1 ने स्वीकार किया है कि याचिकाकर्ता का अभ्यावेदन 12.05.2026 को प्राप्त हुआ था और उसके पश्चात याचिकाकर्ता द्वारा इंगित तीन प्राप्तकर्ताओं को अग्रेषित कर दिया गया था, जिनमें से एक सलाहकार बोर्ड था।

8. 26.05.2026 को, याचिकाकर्ता को कार्यवाहियों में सलाहकार बोर्ड के समक्ष उपस्थित होना बताया गया है। हालांकि, उसका अभ्यावेदन सलाहकार बोर्ड के अभिलेख पर उपलब्ध नहीं था। सलाहकार बोर्ड ने अपनी राय के प्रस्तर 8 में स्पष्ट रूप से दर्ज किया है कि याचिकाकर्ता की ओर से कोई लिखित अभ्यावेदन नहीं था।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



9. सलाहकार बोर्ड की कार्यवाहियों में यह भी दर्ज है कि सुनवाई के समय जिला मजिस्ट्रेट, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एस.एस.पी.) और सचिव, गृह विभाग सलाहकार बोर्ड के समक्ष उपस्थित थे। तत्पश्चात, 19.06.2026 को, राज्य सरकार द्वारा आक्षेपित आदेश पारित किया गया, जिसमें याचिकाकर्ता की एक वर्ष की अवधि के लिए निरुद्धि की पुष्टि की गई।

10. पहले अभ्यावेदन के लंबित रहने के दौरान, याचिकाकर्ता ने 27.06.2026 को एक दूसरा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, जो 30.06.2026 को कारागार प्राधिकारियों द्वारा प्राप्त किया गया था। उक्त अभ्यावेदन उसी दिन जेल प्राधिकारियों द्वारा राज्य सरकार के साथ-साथ केंद्र सरकार को भी अग्रेषित कर दिया गया था। तत्पश्चात 07.07.2026 को राज्य सरकार द्वारा अभ्यावेदन को अस्वीकार कर दिया गया।

11. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया तर्क बहुत ही संकीर्ण दायरे तक सीमित है। सबसे पहले, यह एक स्वीकृत स्थिति है, जैसा कि राज्य द्वारा अपनाए गए रुख से सिद्ध होता है, कि 12.05.2026 का पहला अभ्यावेदन जेल प्राधिकारियों द्वारा प्राप्त किया गया था और अन्य बातों के साथ-साथ 15.05.2026 को सलाहकार बोर्ड को अग्रेषित किया गया था। हालांकि, सलाहकार बोर्ड ने अपनी राय के प्रस्तर 8 में स्पष्ट रूप से दर्ज किया है कि उसे याचिकाकर्ता से कोई लिखित अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ था। यह स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत और स्वीकार्य रूप से 12.05.2026 को राज्य प्राधिकारियों द्वारा प्राप्त किया गया अभ्यावेदन न तो सलाहकार बोर्ड के समक्ष रखा गया था और न ही उस पर विचार किया गया था।

12. याचिकाकर्ता की ओर से आग्रह किया गया दूसरा पहलू यह है कि उसे सलाहकार बोर्ड के समक्ष अधिवक्ता द्वारा प्रतिनिधित्व करने की अनुमति नहीं दी गई थी।

13. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि, यद्यपि राज्य ने स्वीकार किया है कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत 12.05.2026 का लिखित अभ्यावेदन उसके द्वारा प्राप्त किया गया था और सलाहकार बोर्ड को भी अग्रेषित किया गया था, सलाहकार बोर्ड द्वारा अपनी राय के प्रस्तर 8 में किया गया प्रेक्षण याचिकाकर्ता के पक्ष में काम नहीं करता है, क्योंकि उसे व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया था और उसके द्वारा जो कुछ भी कहा गया था उसे सलाहकार बोर्ड की राय के प्रस्तर 9 में विधिवत दर्ज किया गया था।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



14. याचिकाकर्ता को सलाहकार बोर्ड के समक्ष एक विधिक व्यवसायी द्वारा प्रतिनिधित्व करने के अवसर से वंचित करने के संबंध में, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने पीआईटी एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों, विशेष रूप से उसकी धारा 9(ई) पर भरोसा किया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि उक्त प्रावधान स्पष्ट रूप से यह प्रावधान करता है कि कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध पीआईटी एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत निरुद्धि का आदेश दिया गया है, वह सलाहकार बोर्ड के संदर्भ से जुड़े किसी भी मामले में किसी विधिक व्यवसायी द्वारा उपस्थित होने का हकदार नहीं होगा। दूसरे शब्दों में, राज्य के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि सलाहकार बोर्ड के समक्ष बंदी (कार्पस) का विधिक व्यवसायी द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने के विरुद्ध पीआईटी एनडीपीएस अधिनियम की धारा 9(ई) के अंतर्गत एक वैधानिक रोक है। परिणामस्वरूप, सलाहकार बोर्ड के समक्ष कार्यवाहियों के दौरान याचिकाकर्ता को विधिक प्रतिनिधित्व से वंचित करना पूरी तरह से वैधानिक योजना और पीआईटी एनडीपीएस अधिनियम की धारा 9(ई) के अधिदेश के अनुसार था।

15. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा इस न्यायालय के ध्यान में लाया गया एक और तथ्य यह है कि, यद्यपि विशेष सचिव (गृह) को विधि के अंतर्गत निरुद्धि का आदेश पारित करने का अधिकार था, लेकिन उक्त शक्ति प्रत्यर्थी संख्या 3, सचिव, गृह (गोपनीय) अनुभाग को प्रत्यायोजित कर दी गई थी। 17.04.2026 का निरुद्धि आदेश वास्तव में श्री जगदीश, सचिव, गृह (गोपनीय) द्वारा पारित किया गया था।

16. हालांकि, प्रति-शपथ पत्र एक अंनावी दिनेशकुमार, विशेष सचिव, गृह (गोपनीय) द्वारा दाखिल किया गया है, जिन्होंने उक्त शपथपत्र का सत्यापन किया है और उसमें स्वयं को निरोधक प्राधिकारी बताया है। शपथकर्ता ने कहा है कि उसी ने 17.04.2026 का निरुद्धि आदेश पारित किया था, जबकि वास्तव में उक्त आदेश श्री जगदीश, सचिव, गृह (गोपनीय) द्वारा पारित किया गया था। यह कोई अकेली दलील नहीं है; बल्कि, शपथकर्ता ने प्रति-शपथ पत्र के प्रस्तर 4, 5, 6 और 7 में बार-बार स्वयं को 17.04.2026 के आदेश के लेखक के रूप में संदर्भित किया है। ऐसे कथन तथ्यात्मक रूप से गलत हैं।

17. शपथकर्ता ने इस हद तक कहा है कि उसी ने 19.06.2026 के आदेश द्वारा 17.04.2026 के प्रारंभिक निरुद्धि आदेश की पुष्टि की थी। हालांकि, 19.06.2026 के आदेश पर भी श्री जगदीश ने हस्ताक्षर किए थे, जो उस समय सचिव, गृह (गोपनीय) के पद पर कार्यरत थे।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



18. ऐसा प्रतीत होता है कि शपथकर्ता ने प्रति शपथ पत्र को बिना पढ़े ही अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं और सत्यापन खंड की पुष्टि कर दिया है। यदि उसने प्रति शपथ पत्र को पढ़ा होता, तो उसे विभिन्न प्रस्तरों में ऊपर उल्लिखित त्रुटि दिखाई देती और वह उसे ठीक कर देता। इसके बजाय, उसने आँख मूंदकर प्रति शपथ पत्र की पुष्टि कर दिया है, जो इस न्यायालय के समक्ष रखे जाने वाले दस्तावेज़ के सत्यापन की पुष्टि करने वाले शपथकर्ता श्री अन्नावी दिनेशकुमार के लापरवाह रवैये को भी दर्शाता है। न्यायालय शपथकर्ता के आचरण की निंदा करता है और राज्य सरकार को उसके आचरण पर ध्यान देने का निर्देश देता है।

19. राज्य के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए दूसरे तर्क पर आते हुए कि सलाहकार बोर्ड के समक्ष उसकी उपस्थिति के दौरान बंदी (कार्पस) के लिए किसी भी प्रकार की विधिक सहायता की अनुमति देने की कोई आवश्यकता नहीं थी, या यों कहें कि विधि के अंतर्गत रोक थी, **ए.के. रॉय बनाम भारत संघ, (1982) 1 एससीसी 271** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का प्रासंगिक प्रस्तर, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विधिक प्रतिनिधि/सलाहकार के माध्यम से सलाहकार बोर्ड के समक्ष बंदी (कार्पस) का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति देने की वैधता का निर्णय करते समय इस मुद्दे पर विचार किया गया था, अब कोई नया प्रश्न नहीं रह गया है।

20. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि संविधान यह विचार नहीं करता है कि निरोधक प्राधिकारी या सरकार को किसी विधिक व्यवसायी की सहायता से सलाहकार बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने की सुविधा होनी चाहिए। तत्पश्चात न्यायालय ने जमीनी हकीकत पर संज्ञान लिया और टिप्पणी किया कि ऐसे उदाहरण हैं, जहां राज्य के अधिकारी सलाहकार बोर्ड के समक्ष उपस्थित होते हैं, राज्य की ओर से वाद प्रस्तुत करते हैं, और मामले में सलाहकार बोर्ड की सहायता या मार्गदर्शन करते हैं।

21. सर्वोच्च न्यायालय ने भारत संघ द्वारा प्रस्तुत इस तर्क को भी अस्वीकार कर दिया कि सलाहकार बोर्ड के समक्ष राज्य की ओर से उपस्थित होने वाले अधिकारी विधिक सलाहकार या अधिवक्ता नहीं थे, बल्कि केवल संबंधित विभाग के अधिकारी थे। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि राज्य को परोक्ष रूप से वह करने की अनुमति नहीं दी जा सकती जो प्रत्यक्ष रूप से करने से निषिद्ध है, और वह इस दलील की आड़ नहीं ले सकता कि ऐसे अधिकारी न तो विधिक

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



व्यवसायी हैं और न ही विधिक सलाहकार हैं। इसने आगे अभिनिर्धारित किया कि "फॉर्म के बजाय पदार्थ का ध्यान रखा जाना चाहिए क्योंकि, विशेष रूप से सलाहकार बोर्डों की कार्यवाहियों जैसे मामलों में, जो कोई भी तथ्यों या विधि पर सहायता या सलाह देता है, उसे विधिक सलाहकार की स्थिति में माना जाना चाहिए।" इसने यह भी अभिनिर्धारित किया कि जहां राज्य के ऐसे अधिकारी सलाहकार बोर्ड के समक्ष उपस्थित हो रहे हैं, ऐसे उदाहरणों में, बंदी (कार्पस) को भी अपने विधिक अधिवक्ता के माध्यम से प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है।

22. वर्तमान वाद में, यह निर्विवाद है कि जिला मजिस्ट्रेट, एस.एस.पी., और सचिव, गृह, श्री जगदीश, सलाहकार बोर्ड के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए थे। ऐसी परिस्थितियों में, सलाहकार बोर्ड का यह दायित्व था कि वह बंदी (कार्पस) को सूचित करे कि, राज्य प्राधिकारियों की उपस्थिति और प्रतिनिधित्व के दृष्टिगत, उसे विधिक अधिवक्ता के माध्यम से प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है और यह पता लगाए कि क्या वह ऐसी विधिक सहायता का लाभ उठाना चाहता है या उसे छोड़ना चाहता है। बंदी (कार्पस) को ऐसी कोई सूचना नहीं दी गई, न ही उसे सलाहकार बोर्ड के समक्ष अपनी ओर से उपस्थित होने के लिए विधिक प्रतिनिधि रखने का अवसर प्रदान किया गया।

23. जैसा कि पहले ही ऊपर कहा जा चुका है, इस न्यायालय के समक्ष मुद्दा बहुत ही संकीर्ण दायरे में है कि क्या सलाहकार बोर्ड द्वारा 12.05.2026 के अभ्यावेदन पर इस आधार पर विचार न करने से कि उसे ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ था, सलाहकार बोर्ड की राय पर तात्त्विक रूप से प्रभाव पड़ा और क्या उसकी राय भिन्न हो सकती थी यदि उक्त अभ्यावेदन उसके समक्ष रखा गया होता और उस पर विचार किया गया होता।

24. अभ्यावेदन देने का अधिकार संवैधानिक गारंटियों पर आधारित एक वैधानिक अधिकार है। ऐसे अधिकार से राज्य द्वारा इनकार नहीं किया जा सकता है, न ही बंदी (कार्पस) को इसका प्रयोग करने के अवसर से वंचित किया जा सकता है। यह राज्य का समान रूप से दायित्व है कि वह बंदी (कार्पस) को अभ्यावेदन देने के उसके अधिकार के बारे में सूचित करे। वर्तमान मामले में, राज्य स्वयं प्रस्तुत करता है कि याचिकाकर्ता को ऐसे अधिकार के बारे में विधिवत सूचित किया गया था और उसने, इसका प्रयोग करते हुए, अपना अभ्यावेदन दिनांक 12.05.2026 प्रस्तुत किया था।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



25. हालांकि, यह सलाहकार बोर्ड की राय के पैराग्राफ 8 से स्पष्ट है कि उक्त अभ्यावेदन, राज्य प्राधिकारियों द्वारा स्वीकार्य रूप से प्राप्त होने और सलाहकार बोर्ड को अग्रेषित किए जाने के बावजूद, सलाहकार बोर्ड को प्राप्त नहीं हुआ था और, परिणामस्वरूप, उस पर कभी विचार नहीं किया गया। इस प्रकार, एक अभ्यावेदन जिसका अस्तित्व राज्य द्वारा स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है, पारगमन में खो गया और सलाहकार बोर्ड के समक्ष विचार के लिए रखी गई सामग्री का हिस्सा नहीं बना।

26. राज्य के विद्वान अधिवक्ता का बाद का यह तर्क कि बंदी (कार्पस) को सलाहकार बोर्ड के समक्ष मौखिक अभ्यावेदन देने का अवसर प्रदान किया गया था, जिसका बंदी (कार्पस) ने स्वीकार्य रूप से लाभ उठाया, उसके लिखित अभ्यावेदन देने के वैधानिक अधिकार के विकल्प के रूप में नहीं माना जा सकता है। एक लिखित अभ्यावेदन विधिक ज्ञान रखने वाले व्यक्ति की सहायता से तैयार किया जा सकता है, जो बंदी (कार्पस) के पास स्वयं आवश्यक रूप से नहीं हो सकता है, यद्यपि अभ्यावेदन पर अंततः बंदी (कार्पस) के हस्ताक्षर होने चाहिए। वर्तमान वाद में, राज्य की ओर से इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि 12.05.2026 के अभ्यावेदन पर बंदी (कार्पस) द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किए गए थे।

27. एक लिखित अभ्यावेदन का उद्देश्य व्यापक और संरचित तरीके से उन आधारों को निर्धारित करना है जिन पर निरुद्धि की वैधता और विधिमान्यता पर प्रहार किया जाता है। इसलिए, सलाहकार बोर्ड के समक्ष मौखिक अभ्यावेदन देने के अवसर को, किसी भी प्रकार से, बंदी (कार्पस) के लिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के अधिकार के समक्ष विकल्प के रूप में नहीं माना जा सकता है। परिणामस्वरूप, यह तथ्य कि बंदी (कार्पस) को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया था, सलाहकार बोर्ड द्वारा 12.05.2026 के लिखित अभ्यावेदन पर विचार न करने की विफलता को ठीक नहीं करता है।

28. इस प्रकार, याचिकाकर्ता के लिखित अभ्यावेदन को उसके समक्ष रखे जाने या उस पर विचार किए जाने के बिना सलाहकार बोर्ड की राय के आधार पर निरुद्धि के आदेश की पुष्टि किया जाना, सलाहकार बोर्ड की ओर से विचार न किए जाने को दर्शाता है। इसलिए, निरुद्धि आदेश केवल इसी आधार पर अपास्त किए जाने योग्य है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



29. अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि, याचिकाकर्ता को ए.के. रॉय (उपरोक्त) के वाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के विपरीत, सलाहकार बोर्ड के समक्ष कार्यवाहियों में विधिक प्रतिनिधित्व के अधिकार से वंचित कर दिया गया था। वर्तमान वाद में, यह निर्विवाद है कि राज्य के अधिकारी, अर्थात् जिला मजिस्ट्रेट, एस.एस.पी. और सचिव, गृह, सलाहकार बोर्ड के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए थे। ऐसी परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता विधिक अधिवक्ता के माध्यम से प्रतिनिधित्व किए जाने के अपने संबंधित अधिकार के बारे में सूचित किए जाने का हकदार था। ऐसा अवसर प्रदान करने में विफलता सलाहकार बोर्ड के समक्ष कार्यवाहियों में एक और गंभीर दुर्बलता का गठन करती है। इसलिए, इस न्यायालय द्वारा यहां ऊपर जो तर्क दिया गया है, विचार किया गया है और अभिनिर्धारित किया गया है, उसके आधार पर यह न्यायालय अभिनिर्धारित करता है कि निरुद्धि का आदेश विधि में दोषपूर्ण है क्योंकि प्रासंगिक सामग्री (याचिकाकर्ता का अभ्यावेदन) पर सलाहकार बोर्ड द्वारा कभी विचार नहीं किया गया था। बंदी (कार्पस) को तत्काल रिहा किया जाए।

30. इसलिए, आक्षेपित निरुद्धि आदेश के साथ-साथ पुष्टि के आदेश को एतद्वारा रद्द और अपास्त किया जाता है।

31. उपरोक्त के दृष्टिगत, वर्तमान याचिका स्वीकार की जाती है।

19 अगस्त, 2026

आर.एस. तिवारी

(न्यायमूर्ति अचल सचदेव) (न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”